

मिगाराजी 451-PBR-15

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक .....12014  
प्रस्तुति दिनांक .माननीय राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय, ग्वालियर के समक्ष

- १- श्रीमती मनोरमा बेवा चन्द्रशेखर मालवीय,
- २- मयूर पिता स्व० श्री चन्द्रशेखर मालवीय,
- ३- मयंक पिता स्व० श्री चन्द्रशेखर मालवीय,
- ४- कु० जयश्री पिता स्व० श्री चन्द्रशेखर मालवीय,  
सभी निवासी ११८, महालक्ष्मी नगर,  
फ्लेट नम्बर २०१, बाम्बे हास्पिटल के पास,  
इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर म०प्र०
- ५- चन्द्रप्रकाश पिता स्व० श्री कन्हैयालाल मालवीय,  
निवासी २३, राजेन्द्रनगर, गुरुद्वारे के पास,  
सुनिल आयरन के सामने, इन्दौर (म०प्र०)
- ६- श्रीमती चन्द्रकांता पति श्री बी०एल० पटेल,  
निवासी सेक्टर ई, मकान नम्बर ७०,  
राजेन्द्रनगर, इन्दौर म०प्र०
- ७- श्रीमती मधुलिका पति श्री सुरेश चौधरी,  
निवासी ६१२, दत्त नगर, राजेन्द्र नगर के पास,  
इन्दौर (म०प्र०)
- ८- रणछोड पिता स्व० श्री लक्ष्मण मालवीय,  
निवासी ग्राम खुडेल तहसील व जिला  
इन्दौर (म०प्र०)

--- प्रार्थीगण

विरूध्द

- १- श्रीमती भागवतीबाई पति भगवानलाल,  
निवासी ग्राम कम्पेल तहसील व जिला  
इन्दौर (म०प्र०)
- २- श्रीमती गीताबाई पति श्री मोहनलाल जी चौधरी,  
निवासी ग्राम पलासिया तहसील सांवेर  
जिला इन्दौर (म०प्र०)
- ३- गंगाबाई पति स्व० श्री शिवनारायणजी,
- ४- सुरेश पिता स्व० श्री शिवनारायणजी,
- ५- मुकेश पिता स्व० श्री शिवनारायणजी,
- ६- महेश पिता स्व० श्री शिवनारायणजी,  
सभी निवासी ग्राम खुडेल तहसील व जिला  
इन्दौर (म०प्र०)

18/11/15  
27/2/15



७- सुनिता पति श्री संजय पटेल,  
निवासी ग्राम पलासिया तहसील सांवेर,  
जिला इन्दौर (म०प्र०)

--- प्रतिप्रार्थीगण

:: पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ ::

माननीय महोदय,

माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक १०५।अपील।११-१२ ( भागवतीबाई व अन्य विरूध्द मनोरमा व अन्य ) मे पारित आदेश दिनांक १०-०२-२०१५ से असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण यह पुनरीक्षण नीचे लिखे तथ्यो तथा आधारो पर प्रस्तुत करते है कि :-

:: प्रकरण के तथ्य ::

१- यहकि, प्रत्यर्थीगण ने अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा ४४ (१) म०प्र०भू० राजस्व संहिता के तहत माननीय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील इन्दौर के द्वारा पंजी क्रमांक १०-आ।८-९-१९९२ मे पारित आदेश दिनांक १५-८-१९९२ को ग्राम मुण्डला जेतकरण तहसील व जिला इन्दौर, पटवारी हलका नम्बर ३२ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक ४९ रकबा ८.२३६ हेक्टेयर भूमि पर मे नामान्तरण आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की ।



२- यहकि, मूल धारक मृतक कन्हैयालाल, भाई मृतक शिवनारायण तथा शांतिबाई उर्फ संतीबाई पति लक्ष्मण तथा रणछोड पिता स्व० लक्ष्मण, जिन्होने श्यामलाल के विरूध्द दीवानी वाद दायकर कर ग्राम मुण्डला जेतकरण, पटवारी हलका नम्बर ३२ तहसील व जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक ४९ रकबा ८.२३६ हेक्टर के सम्बन्ध मे डिक्री प्राप्त कर भूमि स्वामी बने तथा मृतक कन्हैयालाल की अपीलान्ट क्रमांक १ मृतक पुत्र



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 451-पीबीआर/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p> <p> 20/2/19</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	